तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	

एकलपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक : 08 जनवरी, 2020

निर्णय

1– तीन निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 माननीय सदस्य, श्री जी.एस. सर्राफ, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के द्वारा दिनांक 10–2–2003 को निर्णीत की गई थी। उपर्युक्त तीनों निगरानी जिनका एक ही निर्णय दिनांक 10–2–2003 द्वारा निस्तारण किया गया था, के विरूद्ध प्रस्तुत नजरसानी अन्तर्गत धारा–229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का निर्णय भी एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2– नजरसानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी / वादी अलानूर ने वाद संख्या–117/1993 मु. ग्यारसी बेवा प्रहलाद व अन्य, वाद संख्या–118/1993 हजारी व अन्य तथा वाद संख्या–127/1993 गंगाधर व अन्य के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर, उनियारा (टोंक) के समक्ष प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक** **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया, जिसमें कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–887 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–888 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–963 रकबा 0.39 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम गलवानियां, तहसील अलीगढ़ के खातेदार काश्तकार वादी हैं। वादी ने कुछ समय पूर्व उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण को काश्त हेतु इस शर्त पर दी थी कि वे पैदावार में 1/2 हिस्सा वादी को अदा करेंगे। प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त 1/2 हिस्सा कुछ वर्षो तक दिया जाता रहा, लेकिन विगत तीन वर्षो से उन्होंने 1/2 हिस्सा देना बन्द कर दिया। जब उन्हें कब्जा देने बाबत कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया अतः उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाया जाये। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिनकी ओर से श्री प्रेमचन्द जैन, अभिभाषक उपस्थित हुये। उनके व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही की गई और वाद इकतरफा में डिक्री कर दिया गया। उक्त तीनों वादों का निस्तारण एक ही निर्णय दिनांक 21–9–1997 द्वारा किया गया। 3– उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष तीन अपीलें पेश की गई जो कि निर्णय दिनांक 11–4–2001 द्वारा मियाद बाहर होने के कारण निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण तीन निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयीं, जिनका निस्तारण एक ही निर्णय दिनांक 10–2–2003 द्वारा किया गया और तीनों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक** **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानियां निरस्त कर दी गयीं। उक्त निर्णय दिनांक 10–2–2003 से व्यथित होकर यह तीनों नजरसानी प्रस्तुत की गयी हैं। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। 5– नजरसानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ का निर्णय दिनांक 10–2–2003 न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय सदस्य ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि ‘‘प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के समर्थन में पुनरावेदकगण का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया, जबकि मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत शपथ पत्र पत्रावली में संलग्न था। न्याय का यह सिद्धान्त है कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाना चाहिये। आरआरडी–1998 पेज–319 में दिये गये अभिमत द्वारा निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिये। दौराने बहस प्रार्थीगण ने एआईआर–1998 (एस.सी.) पेज–3222, एआईआर–1981 (एस.सी.) पेज–1400, डीएनजे–1995(2) पेज–605, आरबीजे–1998 पेज–151, आरबीजे–2000 पेज–329 पेश किये थे लेकिन विद्वान सदस्य ने उक्त न्यायिक दृष्टान्तों पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः निर्णय दिनांक 10–2–2003 निरस्त किया जाये।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	
	6– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि नजरसानीधीन निर्णय दिनांक 10–2–2003 पूर्ण रूपेण विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। नजरसानी का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। **"Error apparent on the face of the record"** के आधार पर ही नजरसानी प्रस्तुत की जा सकती है। तीनों निगरानियों में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है जिसे **"Error apparent on the face of the record"** कहा जा सके। इसलिये तीनों नजरसानी निरस्त किये जाने योग्य है। 7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी आदरपूर्वक परिशीलन किया गया। 8– पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, उनियारा के समक्ष दावा दिनांक 3–9–1993 को प्रस्तुत हुआ था जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद में रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भी तलबी की गई। दिनांक 30–6–1994 को अभिभाषक श्री प्रेमचंद जैन ने प्रतिवादीगण की ओर आगामी तिथि पर वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु अन्डर टेकिंग प्रस्तुत की। इसके 11 पेशियों के पश्चात दिनांक 22–11–1995 अर्थात अन्डर टेकिंग देने के 17	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक** **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महीने बाद वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसके बाद भी प्रतिवादीगण को 17 अवसर प्रदान किये गये, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 3–6–1997 को जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 17–6–1997 को विचारण न्यायालय में न तो प्रतिवादीगण उपस्थित हुये और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुये इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और आगामी तिथि 3–7–1997, 15–7–1997, 21–7–1997, 23–7–1997, 11–8–1997 को न तो प्रतिवादी उपस्थित हुये और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुये। दिनांक 11–8–1997 को एकपक्षीय बहस सुनी गई और दिनांक 21–8–1997 को निर्णय पारित कर दिया गया। प्रतिवादीगण ने इस निर्णय के विरूद्ध दिनांक 29–8–1998 को पूरे एक साल पश्चात अपील की है जो मियाद से बाहर थी। नियमाानुसार अपील 60 दिन में प्रस्तुत करनी थी। विलम्ब को शमित करने के लिये धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कथन किया गया कि हजारी बीमार पड़ गया और बद्री उसकी तीमारदारी में व्यस्त रहा। लेकिन बीमारी सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, केवल बद्री का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब से अपील प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक** **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करने के कारण अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इस आधार पर राजस्व मण्डल ने तीनों निगरानियां खारिज की है।

9– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–229 के अन्तर्गत निगरानी के संबंध में प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

> 229- **Power of review by Board and other revenue courts -** Subject to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) -
>
> (1) the Board of its own motion or on tghe application of a party to a suit or proceeding, may review and may rescind, alter or confirm any decree or order made by itself or by any of its members; and
>
> (2) every revenue court, other than the Board, shall be competent to review any decree, order or judgment passed by such court.

10– इसी प्रकार सीपीसी की धारा–113 व 114 तथा आदेश–47 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

> **धारा–113. उच्च न्यायालय को निर्देश–** उन शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुये, जो विहित की जाएं, कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिये निर्देशित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे :
>
> [परन्तु जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लम्बित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित है, जिसका अवधारण उस मामले को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	

निपटाने के लिये आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनिमय या उपबन्ध अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील है, किन्तु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उपवर्णित करते हुये मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिये निर्देशित करेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में ''विनिमय'' से बंगाल, मुम्बई या मद्रास संहिता का कोई विनिमय या साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में या किसी राज्य के साधारण खण्ड अधिनियम में परिभाषित कोई भी विनिमय अभिप्रेत है।]

धारा–114. पुनर्विलोकन– पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, जो–

(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गयी है,

(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है,

अपने को व्यथित मानता है वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

<u>आदेश–47 सीपीसी के प्रावधान :–</u>

"Rule-1. Application for review of judgment.-

(1) Any person considering himself aggrieved-

(a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,

(b) by a decree or order from which no appeal is

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	

allowed, or

(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record of for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

(2) A party who is not appealing from a decree on order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review.

***Explanation**-The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for the review of such judgment."*

11– उक्त प्रावधानों के अनुसार नजरसानी के लिये उक्त कारणों में से कोई भी कारण नजरसानियों पर लागू नहीं होते हैं। जहां तक नजरसानीकर्ता के अभिभाषक का यह कथन कि माननीय सदस्य, राजस्व मण्डल ने बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन नहीं किया, सही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–2–2003 के पृष्ठ संख्या–4 के पैरा नम्बर–6 में अंकित किया है कि **"पुनरावेदकगण के विद्वान अभिभाषक श्री यज्ञदत्त शर्मा ने जो निर्णय पेश किये हैं, मेरी विनम्र राय में वे निर्णय भिन्न तथ्यों पर आधारित होने से पुनरावेदकगण की सहायता नहीं**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक** **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करते।'' इस प्रकार निगरानी का निर्णय करते समय निगरानी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों को न केवल अध्ययन किया गया अपितु उनके तथ्य भिन्न होने के कारण इस पर लागू नहीं होते हैं, ये तथ्य निर्णय में अंकित भी किया गया है।

12– नजरसानी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन भी सही प्रतीत नहीं होता है कि धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया गया है। निगरानी के निर्णय में अंकित किया गया है कि **''पुनरावेदकगण हजारी, गंगाधर, ग्यारसी को मोतीजरा होकर पीलिया हो गया था। इस कथन के समर्थन में पुनरावेदकगण हजारी व ग्यारसी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।''** पत्रावली में जो शपथ पत्र संलग्न है वह बद्री का है अतः निर्णय में सही अंकित किया है कि हजारी व ग्यारसी के शपथ पत्र पेश नहीं किये गये हैं। इसमें माननीय सदस्य से कोई त्रुटि नहीं हुई है।

13– फलस्वरूप तीनों नजरसानियां निरस्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**हरि शंकर गोयल**)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(1) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2421 / टोंक **हजारी बनाम अलानूर** **(2) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2430 / टोंक** **ग्यारसी बनाम अलानूर** **(3) नजरसानी / टी.ए. / 2003 / 2431 / टोंक** **गंगाधर बनाम अलानूर**	